–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– ब्रह्मलाल जाट (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 62/2022 जीसीएमएस नं0 2022/45

उनवान प्रकरण

विश्वबन्धु गुप्ता , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर राज0
..........................**आवेदक**

बनाम

1. शादीलाल पुत्र श्री रामभरोसी लाल मालिक/विक्रेता मैसर्स रामभरोसी मिष्ठान भण्डार, जगन तिराहा धौलपुर निवासी पुरानी बिजली घर के सामने भामतीपुरा, जिला धौलपुर
..................**अभियुक्त**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 2 (v)/51
एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–

आवेदक की ओर से :– श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अभियुक्त की ओर से :– कुसुमाकर गर्ग , एडवोकेट

निर्णय **दिनांक 26.04.2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 09.03.2022 को दोपहर 12.15 बजे मैसर्स रामभरोसी मिष्ठान भण्डार, जगन तिराहा धौलपुर पर पहुँचा मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे , तो उसने अपना नाम श्री शादीलाल पुत्र श्री रामभरोसी लाल मालिक/विक्रेता मैसर्स रामभरोसी मिष्ठान भण्डार, जगन तिराहा धौलपुर निवासी पुरानी बिजली घर के सामने भामतीपुरा, जिला धौलपुर बताया एवं उनसे फर्म की खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने हेतु कहा तो उन्होने खाद्य अनुज्ञापत्र पत्र संख्या 22222060000110 होना जाहिर किया ।

Scanned with OKEN Scanner

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 62/2022 सरकार बनाम शादीलाल

(2)

निरीक्षण के दौरान दुकान के गोदाम में 10 ट्रे मे लगभग 50 किलोग्राम मावा मिठाई (बर्फी) आमजन को विक्रय करने हेतु रखी थी । उक्त मावा मिठाई (बर्फी) में मिलावट का शक हुआ तो परिवादी ने उक्त मावा मिठाई (बर्फी) का नमूना जॉच देते हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । विक्रेता की उक्त मावा मिठाई (बर्फी) में से 2 किलोग्राम मावा मिठाई (बर्फी) को वास्ते जांच नमूना जॉच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 440/—(चार सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मावा मिठाई (बर्फी) को 04 खाली बोतलों में डालकर प्रत्येक बोतल में फॉमिलिन की 40—40 बूंदे डालकर एयर टाईट बंद कर दिया । 04 भाग नमूने भाग तैयार किये। पैकेटों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड कमांक डी—2384 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम ,पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये । चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी—2384 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ.कर सुनाकर ,समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म vi की छः प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सी बन्द किये । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या vi की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र कमांक 112 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलए[illegible]/380/एक्ट/2022/380 दिनांक 23.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मावा मिठाई (बर्फी) अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का पाया गया । उक्त केस में अवमानक (Sub-Standard) का विक्रय करके विक्रेता श्री दिनेश जैन पुत्र श्री शादीलाल पुत्र श्री रामभरोसी लाल मालिक/विक्रेता मैसर्स रामभरोसी मिष्ठान भण्डार, जग[illegible]न तिराहा धौलपुर निवासी पुरानी बिजली घर के सामने भामतीपुरा, जिला धौलपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है ।

Scanned with OKEN Scanner

-: राजस्थान सरकारः-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 62/2022 सरकार बनाम शादीलाल

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अभिभाष उपस्थित हुये। साथ ही अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जबाव पेश किया। जबाव में अंकित किया कि श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने नमूना लेने से पूर्व मावा मिठाई (बर्फी) को किस बर्तन में और किस माध्यम से एक रूप किया फर्द रिपोर्ट में अंकित नहीं है। इस कारण परिवादी द्वारा मावा मिठाई (बर्फी) का नमूना विधिवत नहीं लिया गया। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है। नमूना लेते समय मौके पर जो फर्द रिपोर्ट बनायी उस फर्द रिपोर्ट में प्लास्टिक की बोतल में नमूना लेना वर्णित नहीं किया है बल्कि नमूना को चार साफ सूखी व खाली शीशियों/जारों में बराबर-बराबर डालना अंकित है किन्तु जॉच रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर खाली शीशियाँ अथवा जार जॉच कर्ता ने प्राप्त ही नहीं किया । इस कारण उक्त जॉच रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है । इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है । जॉच रिपोर्ट के आधार पर लैब बालों ने जब नमूना को प्राप्त किया वह इस प्रकार था sample is in a seald and intact wide mouth plastic bottle प्राप्त किया। जबकि फर्द मौका रिपोर्ट में प्लास्टिक के जार अथवा प्लास्टिक की बोतल में नमूना लेना एवं सीळ्ड करना अंकित नहीं है। इस कारण भी जांच रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किए जाने योग्य है। जब मावा मिठाई (वर्फी) का नमूना लिया उस वर्फी का कलर फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित नहीं है। श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने प्रार्थी से कोई नमूना मावा मिठाई (वर्फी) creamish white coloured का लिया साबित नहीं। इस कारण भी जांच रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किए जाने योग्य है। मावा मिठाई (वर्फी) का नमूना किस बर्तन में लिया व उस नमूने को किस माध्यम से हिलाया मिलाया (होमीगीनियश) किया यह बात भी फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित नहीं है। इस्तगासा की मद नं 04 के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने मावा मिठाई (बर्फी) का सेम्पल हिला मिलाकर नहीं लिया इस कारण मानकों में भिन्नता आई। इस कारण भी सम्पूर्ण कार्यवाही कानून के कारण निरस्त करने योग्य है। श्री बिश्वबन्धु गुप्ता ने जिस फर्म से मैसर्स रामभरोसी मिष्ठान भंडार जगन तिराहा धौलपुर से नमूना लेना बताया है। इस प्रकरण के अभिहित अधिकारी डा0 गोपाल प्रसाद गोयल ने इस फर्म मैसर्स रामभरोसी मिष्ठान भंडार जगन तिराहा धौलपुर के विरूद्ध पृथक से मुल्जिम बनाये जाने हेतु स्वीकृति जारी नहीं की है। इस कारण भी प्रार्थी को उक्त प्रकरण में दण्डित नहीं किया जा सकता है। और प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है। विश्वबन्धु स्वयं अपने आपको दिनांक 25.07.2011 को धौलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होना बताया है। किन्तु दिनांक 25.07.2011 से 2 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य एवं सैम्पलिंग वर्क बावत् कोई विशेषकृत ट्रेनिंग की है इस बावत कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस प्रकार श्री विश्वबन्धु गुप्ता दिनांक .09.03.2022 को की गयी सैम्पलिंग की कार्यवाही nul and void हो जाती है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है। धारा 43 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कौन-कौनसी प्रयोगशालाएं निरीक्षण करने के लिए मान्य होगी। इस बावत इन प्रयोगशालाओं का राज्य दर राज्य भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यारित प्रयोग शालाओं की

Scanned with OKEN Scanner

-: राजस्थान सरकारः-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 62/2022 सरकार बनाम शादीलाल

सूची राजस्थान राज्य के संदर्भ में जारी हुई। public health laboratory bharatpur (rajasthan) का नाम इस सूची में नहीं है। अर्थात लैब accretade lab नहीं है। इस कारण सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। इस प्रकार भी प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किये जाने योग्य है।

प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने कथनों में प्रस्तुत जबाव को दौहराते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मावा मिठाई (बर्फी) को किस बर्तन में और किस माध्यम से एक रूप किया फर्द रिपोर्ट में अंकित नहीं है। मावा मिठाई (बर्फी) का नमूना विधिवत नहीं लिया गया है। मावा मिठाई (बर्फी) का सेंपल नमूना लेते समय मौके पर जो फर्द रिपोर्ट बनायी उस फर्द रिपोर्ट में प्लास्टिक की बोतल में नमूना लेना वर्णित नहीं किया है बल्कि नमूना को चार साफ सूखी व खाली शीशियों/जारों में बराबर-बराबर डालना अंकित है किन्तु जॉच रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर खाली शीशियॉ अथवा जार जॉच कर्ता ने प्राप्त ही नहीं किया । इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किए जाने योग्य है। जॉच रिपोर्ट के आधार पर लैब बालों ने जब नमूना को प्राप्त किया वह इस प्रकार था sample is in a seald and intact wide mouth plastic bottle प्राप्त किया। जबकि फर्द मौका रिपोर्ट में प्लास्टिक के जार अथवा प्लास्टिक की बोतल में नमूना लेना एवं सील्ड करना अंकित नहीं है। जब मावा मिठाई (वर्फी) का नमूना लिया उस वर्फी का कलर फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित नहीं है। श्री विश्वबन्धु गुप्ता ने प्रार्थी से कोई नमूना मावा मिठाई (वर्फी) creamish white coloured का लिया साबित नहीं। इस कारण भी जांच रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। श्री बिश्वबन्धु गुप्ता ने जिस फर्म से मैसर्स रामभरोसी मिष्ठान भंडार जगन तिराहा धौलपुर से नमूना लेना बताया है। इस प्रकरण के अभिहित अधिकारी डा0 गोपाल प्रसाद गोयल ने इस फर्म मैसर्स रामभरोसी मिष्ठान भंडार जगन तिराहा धौलपुर के विरूद्ध पृथक से मुल्जिम बनाये जाने हेतु स्वीकृति जारी नहीं की है। इस कारण भी प्रार्थी को उक्त प्रकरण में दण्डित नहीं किया जा सकता है। विश्वबन्धु स्वयं अपने आपको दिनांक 25.07.2011 को धौलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होना बताया है। किन्तु दिनांक 25.07.2011 से 2 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य एवं सैम्पलिंग वर्क बावत् कोई विशेषकृत ट्रेनिंग की है इस बावत कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस प्रकार श्री विश्वबन्धु गुप्ता दिनांक 09.03.2022 को की गयी सैम्पलिंग की कार्यवाही nul and void हो जाती है। इस कारण भी प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप किये जाने योग्य है।

बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने कहा कि मौके से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गोदाम में रखी 50 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) 10 ट्रे में रखी हुई थी। जिसमें से 2 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) एक सूखे खली बर्तन में खरीदी इस बात का फर्द रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है नमूना नियमानुसार लिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मोके पर नमूने बावत् चार खाली एवं सूखी शीशियों /जारों में बराबर-बराबर लिया जाना अंकित

Scanned with OKEN Scanner

—: राजस्थान सरकारः—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 62/2022 सरकार बनाम शादीलाल

(5)

है। जबकि जांच रिपोर्ट में sample descreption- sample is in a seald and intact wide mouth plastic bottle का अंकन है। जो कि सही है। नमूना खली साफ सूची बोतल/शीशी/जार जो कि एक ही बात है लिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बर्फी (मावा मिठाई) का नमूना लिया गया है जो कि तथ्य सर्वविदित है कि बर्फी (मावा मिठाई) किस कलर की होती है जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन के साथ—साथ बर्फी (मावा मिठाई) Sub-Standard पाई गई है जो कि जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर खरीदे गए खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) को हिलामिलाकर (होमोजीनियस) करके चार सूखी व खली शीशियों/जारो में बराबर—बराबर डालने का स्पष्ट रूप से अंकन है। नमूना नियमानुसार लिया गया है। चूंकि उक्त फर्म रामभरोसी मिष्ठान भंडार जगन तिराहा धौलपुर पोपराइटरी फर्म है इस कारण पृथक से मुल्जिम बनाए जाने की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। स्वीकृति नियमानुसार जारी की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के अनुसार नोटीफाइड खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, कार्यवाही नियमानुसार की गई है।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी ने उक्त मावा मिठाई (बर्फी) अवमानक (Sub-Standard) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है । इस प्रकार अप्रार्थीगण उक्त मावा मिठाई (बर्फी) अवमानक (Sub-Standard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है

हालांकि उक्त प्रकरण में The Food Safety and Standards Act, 2006 Ruls 51 एवं विनिमय—2011 के उल्लंघन की दशा में अवमानक (Sub-Standard) में राशि पॉच लाख रूपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना / दण्ड / शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है ,तदापि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी श्री शादीलाल पुत्र श्री रामभरोसी लाल मालिक/विकेता मैसर्स रामभरोसी मिष्ठान भण्डार, जगन तिराहा धौलपुर निवासी पुरानी बिजली घर के सामने भामतीपुरा, जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत राशि 31000/— रूपये (इकतीस हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है । जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट कार्यालय, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner